.... नम्बर ....

किस्म मुकदमा ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व ... जो ... तामील
10.2022	पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बासड़ी कला के पुराने भूमि ख.नं. 80 (नये खसरा नं. 106, 107, 108 कुल किता 3 कुल रकबा 1.35 हैक्टे०) में दर्ज मृतक खातेदार रघुनाथ जो कि अविवाहित फौत हुआ है का विरासतन नामान्तरकरण सं. 95 दिनांक 15.11.1975 केवल रेस्पो० सं.2 के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त रेस्पो.नं.2 को मृतक खातेदार ने कभी गोद नही लिया था। मृतक रघुनाथ का विरासतन नामा० 63 दिनांक 15.04.1973 सही भरा गया, उसके बाद गलत एवं विधि विरुद्ध तरीके से यह नामा० सं. 95 दर्ज एवं स्वीकृत किया गया है जो खारिज होने योग्य है इस आशय की अपील अपीलान्ट्स द्वारा पेश होने पर दर्ज रजि० को गयी एवं रेस्पो० को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। रेस्पो.सं.2 मय अधिवक्ता उप० आये। अपीलान्ट्स व रेस्पो० सं. 2 ने राजीनामा पेश किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने पर रेस्पो० 2 को कोई आपत्ति ऐतराज	

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
...(सीकर)

पत्रावली, दस्तावेजात
किया गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। जिसके अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णित की जाती है तथा राजस्व ग्राम बासड़ी कलां की भूमि हाल ख० नं० 106,107,108 कुल किता 3 कुल रकबा 1.35 हैक्टे० के सम्बन्ध में नामान्तरकरण सं० 95 दिनांक 15.11.1975 बाबत आदेश ग्राम पंचायत बासड़ी खुर्द दि. 15.11.1975 अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि मृतक रघुनाथ पुत्र हनुमान के विधिक वारिसान के नाम विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करें। पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)